

S (no. 1)

Sub Registry Office

Non Encumbrance Certificate

प्रमाण पत्र सं० 7092

चूंकि श्री usha devi ने मेरे पास आवेदन किया है कि निम्नलिखित प्रमाण पत्र के संबंध में मैं एतद्वारा प्रमाणित किया जाता है कि आवेदन में वर्णित सम्पत्ति को प्रभावित करने वाले संव्यवह में ता० 01/01/2005 से ता० 17/05/2022 तक तलाशी की गयी और इसकी तलाशी के बा

Page no. 1/1

Sub Registry Office, Danapur
Receipt for search, inspection and copy

Usha Devi

Misc token no. _____
Year _____
Received from _____
Following fees:
F (I)-0 _____ F (III)-0 _____
F (II)-0 _____ F (IV)-0 _____

Serial no. 7092
Date 17/05/22

G-0 _____
G(a)-0 _____
Total _____

Registering Officer

क्रम संख्या	कार्यालय अंचल	मौजा/वार्ड नं०	खाता खेसरा रकबा	दस्तावेज का प्रकार	मूल्य	जिल्द संख्या	पृष्ठ सं०	पृष्ठ तक	वर्ष
1	Danapur Danapur	sikandarpur 17	202 521	47 dec	0				

यह भी प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त संव्यवहार और अवभारो को छोड़, उक्त संपत्ति को प्रभावित करने वाला कोई अन्य संव्यवहार और अवभार का पता नहीं बला है। निम्नलिखित व्यक्ति ने तलाशी की और प्रमाण पत्र तैयार किया :-

नाम -Md. Juubair Alam
Cleark

तलाशी का सत्यापन और प्रमाण पत्र की जाँच निम्नलिखित व्यक्ति ने की :-

नाम -Ramanand Prasad
Cleark

कार्यालय -

**Sub Registry
Office, Danapur**

तारीख -

17/05/2022



निबंधन पदाधिकारी का हस्ताक्षर
17/5/22

टिप्पणी-

- इस प्रमाण पत्र में जो संव्यवहार और अवभार दिखाये गये हैं वे आवेदक द्वारा तथा प्रस्तुत संपत्ति विवरण के अनुसार पाये गये हैं। यदि आवेदक द्वारा दिये गये विवरण से भिन्न विवरण देकर किन्हीं सम्पत्तियों को निबंधित दस्तावेजों में दिखाया गया है, तो इन दस्तावेजों से प्रभावित संव्यवहार (ट्रांजेक्सन) इस प्रमाण-पत्र में शामिल न किये जायेंगे।
- निबंधन अधिनियम की धारा-57 के अधीन जो व्यक्ति बहियों और अनुक्रमणियों (इण्डेक्स) की प्रविष्टियाँ देखना चाहते हो तो अथवा जो उनका प्रतिलिपि लेना चाहते हो तो अथवा जिन्हें विनिर्दिष्ट संपत्तियों के अवभारों के प्रमाण पत्रों की जरूरत हो उन्हें तलाशी स्वयं करनी होगी। विहित फीस का भुगतान करने पर बहि और अनुक्रमणी उनके सामने रख दी जायेंगी।
- किन्तु चूंकि वर्तमान मामले में आवेदक ने स्वयं तलाशी नहीं की है, इसलिए कार्यालय ने अपेक्षित तलाश अपने भरसक सावधानी से की है। फिर भी प्रमाण-पत्र में दिये गये तलाशी परिणाम की किसी भूल के लिए किसी भी तरह की जिम्मेवारी नहीं होगी।
- और चूंकि वर्तमान मामले में आवेदक ने अपेक्षित तलाशी स्वयं की है इसलिए उसके द्वारा दूँदे गये ऐसे संव्यवहारों और अवभारों के लिए किसी भी तरह कार्यालय जिम्मेवार न होगा जिससे उक्त संपत्ति पर प्रभाव पड़ता हो।

पत्रांक:- 2433

दिनांक:- 17/05/2022

शाखा प्रबंधक State Bank Of India के पत्र दिनांक 08/05/2022

के आलोक में प्रेषित।

निबंधन पदाधिकारी का हस्ताक्षर
17/5/22

Winsome Realcon
Sagar Kumar
Proprietor